भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3720

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि डेटा संग्रहण प्रणाली में कमियाँ

3720. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट में फसल के रकबे और खाद्य उत्पादन को ट्रैक करने वाली कृषि डेटा संग्रहण प्रणाली में गंभीर कमियों को उजागर किया है, जिससे निर्यात प्रतिबंधों और बफर स्टॉक जारी करने जैसे खाद्य सुरक्षा संबंधी निर्णय प्रभावित हो रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): फसल के आँकड़े आंकड़ें जैसे कि बोया गया क्षेत्र और औसत उपज तैयार करने के लिए डेटा एकत्रित करने का प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। क्षेत्र और उपज के अनुमान राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण (एसएएसए) तैयार करता है और उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को भेजता है, ताकि अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन के अनुमान तैयार किए जा सकें। यह कार्य सुदृढ़ सांख्यिकीय पद्धतियों पर आधारित होता है, जिससे क्षेत्र, उत्पादन और उपज के सटीक, विश्वसनीय और सुदृढ़ अनुमान प्राप्त होते हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'फसल सांख्यिकी सुधार स्कीम के जरिए भारत में फसल सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा: 2023-24' में देश में कृषि संबंधी डेटा संग्रहण करने वाली प्रणाली की जांच की है और कुछ कमियों की पहचान की है, जिनमें सम्पूर्ण क्षेत्र को कवर न करना, हर कर्मचारी पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ, छोटी फसलों की जानकारी न देना, नमूने जांच के लिए प्रतिक्रिया न मिलना, समय पर गिरदावरी पूरी न होना, अद्यतित नक्शे न मिलना, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की कमी, आनुषंगिक सूचना दर्ज करने में गलती, और सीसीई (फसल कटाई प्रयोग) करने के लिए ज़रूरी उपकरणों की कमी आदि शामिल हैं। ये कमियां उस समय की हैं जब डेटा संग्रहण करने का काम मैन्युअल तरीके से होता था।

हालांकि, सरकार ने कृषि से संबन्धित डेटा संग्रह करने के मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाने और सटीक व विश्वसनीय अनुमान लगाने हेतु इसे और ज़्यादा कुशल बनाने की पहल की है। इससे सिस्टम में और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी। मंत्रिमंडल ने कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) बनाने और देश में एक सुदृढ़ डिजिटल कृषि इकोसिस्टम सक्षम करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से शुरू की गई दूसरी आईटी पहलों के लिए 'डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन' (डीएए) को मंज़ूरी दी है। इनमें से, एग्रीस्टेक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़े तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस शामिल हैं। इनमें से एक बोई गई फसल की रजिस्ट्री है, जिसे राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 'डिजिटल क्रॉप सर्वे' (डीसीएस) के तहत तैयार किया और रख-रखाव किया जाता है।

मोबाइल इंटरफ़ेस के ज़रिए फ़सल की बुआई की जानकारी एकत्रित करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे (डीसीएस) सिस्टम बनाया गया है, ताकि डेटा सीधे खेत से लिया जाना सुनिश्चित हो सके। यह डेटा हर कृषि भू-खंड के लिए फ़सल के क्षेत्र की सटीक और रियल-टाइम जानकारी देता है, जिससे बेहतर उत्पादन अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। रबी सीज़न 2025-26 के दौरान, डीसीएस देश भर के 31.3 करोड़ से ज़्यादा प्लॉट को शामिल करते हुए 24 राज्यों के 648 ज़िलों में किया गया।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) द्वारा 'डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन' (डीएएम) के तहत, 'डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टीमेशन सर्वे' (डीजीसीईएस) नामक एक अहम पहल शुरू की गई। डीजीसीईएस एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उपयोग 'क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट' (सीसीई) करके फसल की उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। पहले यह काम मैन्युअल तरीके से होता था। डीजीसीईएस एक डिजिटाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है जिसे फसल की उपज का अनुमान लगाने की पूरी प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सीसीई डेटा को रियल-टाइम में एकत्रित करने और उसकी निगरानी करने में मदद करता है। इस सिस्टम में एक वेब-बेस्ड पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन शामिल है–पोर्टल से केंद्रीकृत निगरानी और उपज का अनुमान लगाना संभव होता है, जबकि मोबाइल एप्लीकेशन से फ़ील्ड-लेवल पर डेटा एकत्रित करना आसान हो जाता है, जिसमें जियो-टैग की गई तस्वीरें, टाइम-स्टैम्पिंग और लोकेशन कैप्चर जैसी सुविधाएँ होती हैं, जिससे डेटा की प्रमाणिकता और पारदर्शिता बनी रहती है। डीजीसीईएस को अब 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके और उनकी तैयारी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता और फ़ील्ड कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के आधार पर इसे लगातार विस्तार किया जा रहा है।
